2022/368

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोंडेन्ट**
अल्कासिंह (RAcs) निवासी 76/III/31 PWD Colony Sirohi जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 66 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.11.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.08.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/स्थापना/2022/650 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली एवं उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर कोष कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/संस्थापन/2022/896 दिनांक 11.07.2022 पर लिए गए निर्णय एवं सम्बन्धित नोटशीट एवं जिन साक्ष्यों के आधार पर उक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन साक्ष्यों की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.08.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/स्थापना/2022/650 दिनांक 05.07.2022 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली एवं उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर कोष कार्यालय सिरोही के पत्र क्रमांक/संस्थापन/2022/896 दिनांक 11.07.2022 पर लिए गए निर्णय एवं सम्बन्धित नोटशीट एवं जिन साक्ष्यों के आधार पर उक्त कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन साक्ष्यों की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 1049 दिनांक 31.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी को डाक के माध्यम से प्रेषित की गई, परन्तु अपीलार्थी का कथन है कि उन्हें यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है [illegible] लांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना पुनः नियमानुसार उपलब्ध [illegible] संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित [illegible] । निर्णय सरे इजलास [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Bhallo (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner